



विषयक,

राज कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में **18 मूर्तियों** के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1092/सं०नि०-25(6)/2026-27, दिनांक 29.07.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कतिपय मूर्तियों के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न तालिका के स्तम्भ-3 व 4 में उल्लिखित विवरणानुसार मूर्तियों के निर्माण हेतु सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि की चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबंधों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र.	जनपद	मूर्तियों का विवरण	साइज/ धातु	प्रशासकीय स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति 25%
1	2	3	4	5	6
1	बाराबंकी	जनपद बाराबंकी के ग्राम ओबरी, परगना व तहसील नवाबगंज में महाराणा प्रताप जी की घोड़े सहित प्रतिमा की स्थापना।	12.5 फीट अश्वारोही कांस्य	38,20,000.00	955,000.00
2	कानपुर देहात	जनपद कानपुर देहात के गजनेर चौराहे पर हाथी पर सवार पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की स्थापना।	12.5 फीट हाथी पर सवार कांस्य	65,50,000.00	1,637,500.00
3	आगरा	जनपद आगरा के अन्तर्गत 86-एत्मादपुर विधानसभा के रहनकलां, श्रृंगवेरपुर नरेश महाराजा निषादराज गुह की भव्य प्रतिमा की स्थापना।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
4	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में जिला पंचायत परिसर, अलीगढ़ में बाबू जी स्व० कल्याण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
5	अलीगढ़	जनपद अलीगढ़ में गंगीरी चौराहा, अलीगढ़ में बाबू जी स्व० कल्याण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	औरैया	जनपद औरैया के ग्राम ककोर बुजुर्ग तहसील में श्रद्धेय स्व० अटल बिहारी बाजपेयी जी की प्रतिमा की स्थापना।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
7	कन्नौज	जनपद कन्नौज के तहसील छिबरामऊ के पूर्वी बाईपास तिराहा पर महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा की स्थापना।	12.5 फीट अश्वारोही कांस्य	38,20,000.00	955,000.00
8	बुलन्दशहर	जनपद बुलन्दशहर के अनूपशहर में बस अड्डा चौराहे के निकट पूर्व में स्थापित महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना।	12.5 फीट अश्वारोही कांस्य	38,20,000.00	955,000.00
9	सीतापुर	जनपद सीतापुर में विधानसभा क्षेत्र मिश्रिख, नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराजा छीता पासी जी की प्रतिमा की स्थापना।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
10	सीतापुर	जनपद सीतापुर में विधानसभा क्षेत्र मिश्रिख, नैमिषारण्य क्षेत्र में माता अहिल्याबाई होल्कर जी की प्रतिमा की स्थापना।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
11	झाँसी	जनपद झाँसी में गरौठा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत गुरसराय के ग्राम गुढ़ा में धसान नदी के किनारे तपोभूमि विश्वामित्र की जन्मस्थली में विश्वामित्र की प्रतिमा की स्थापना। (विधान सभा आश्वासन प्रकरण)	फीट बैठी कांस्य	10,80,000.00	270,000.00
12	फतेहपुर	विधानसभा क्षेत्र-238 जहानाबाद में अमर शहीद जोधा सिंह अटैया के पैतृक गाँव में उनकी प्रतिमा की स्थापना। (विधान सभा प्रश्न प्रकरण)	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
13	रायबरेली	जनपद रायबरेली के राजा बेनी माधव बख्श सिंह सभागार में राजा बेनी माधव जी की अश्वारोही मूर्ति की स्थापना।	12.5 फीट अश्वारोही कांस्य	38,20,000.00	955,000.00
14	कानपुर देहात	रनिया पड़ाव, रनिया तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति लगाये जाने के सम्बन्ध में। (मा० मुख्यमंत्री सन्दर्भ)	12.5 फीट अश्वारोही कांस्य	38,20,000.00	955,000.00
15	प्रयागराज	जनपद प्रयागराज में शहीद श्री जितेन्द्र कुमार मोर्य जी की प्रतिमा बहरिया ब्लॉक परिसर में लगवाने के सम्बन्ध में।	03 फीट आवक्ष कांस्य	2,36,000.00	59,000.00
16	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में लोक भारती इण्टर कॉलेज, कुरियाँ कला में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व० त्रिवेणी सहाय मिश्र की मूर्ति की स्थापना के	03 फीट कांस्य	2,36,000.00	59,000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

		सम्बन्ध में।			
17	फर्रुखाबाद	डॉ० ब्रह्मदत्त अवस्थी जी की आदमकद प्रतिमा को नगर पालिका क्षेत्र फतेहगढ़, फर्रुखाबाद में स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
18	आगरा	जनपद आगरा के अन्तर्गत विधानसभा 86-एत्मादपुर के रामनगर में (लाल मंदिर) के पास परमपूज्य महर्षि परशुराम जी की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के सम्बन्ध में।	06 फीट खड़ी कांस्य	6,00,000.00	150,000.00
योग				3,26,02,000	81,50,500.00

शर्तें / प्रतिबंध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्यय) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) तालिका के क्रमांक-2 से 18 पर अंकित मूर्तियों की लागत की 25% धनराशि प्रस्तावक द्वारा वहन की जाएगी।
- (3) मूर्ति निर्माण विषयक संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-138/चार-2001-6(20)/90 टी0सी0 दिनांक 24.12.2001 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संस्कृति निदेशालय/ उ०प्र० राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा मूर्ति निर्माण के संबंध में कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।
- (4) निदेशक, संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
- (5) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ का होगा।
- (6) मूर्ति का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।
- (7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
- (8) उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (10) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (11) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (12) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी। उपयोग की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (13) चालू वित्तीय वर्ष में मूर्ति निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का विस्तृत विवरण शासन को वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय - 04- कला तथा संस्कृति- 106- संग्रहालय- 09- महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण- 24-वृहत् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
 2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
 3. संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
 4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
 5. निदेशक, उ0प्र0 राज्य ललित कला अकादमी, लखनऊ।
 6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
 7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
 8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राज कुमार
संयुक्त सचिव।